सं. डब्ल्यू-02/0039/2017-डीपीई(डब्ल्यूसी)-जीएल-II/21

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

लोक उद्यम विभाग

लोक उद्योग भवन,
ब्लॉक सं. 14, सी.जी.ओ. कॉम्प्लैक्स,
लोधी रोड, नई दिल्ली-110003
दिनांक: 02 अगस्त, 2021

<u>कार्यालय ज्ञापन</u>

विषय:- केंद्रीय सरकारी लोक उद्यमों (सीपीएसईज़) में असंघबद्ध पर्यवेक्षकों सहित बोर्ड स्तर और बोर्ड स्तर से नीचे के पद - वेतनमान में संशोधन दिनांक 01.01.2017 - संशोधित दरों पर आईडीए का भुगतान-संबंधी।

अधोहस्ताक्षरी को डीपीई के दिनांक 03.08.2017 के कार्यालय ज्ञापन के पैरा 7 और अनुबंध-III (बी) का संदर्भ लेने का निदेश हुआ है जिसमें बोर्ड स्तर और बोर्ड स्तर से नीचे के कार्यपालकों और सीपीएसईज़ के असंघबद्ध पर्यवेक्षकों को देय महंगाई भत्ते की दरें दर्शाई गई हैं और डीपीई के दिनांक 19.11.2020 के कार्यालय ज्ञापन संख्या डब्ल्यू-02/0039/2017-डीपीई(डब्ल्यूसी)-जीएल-XVI/20 जिसमें आईडीए वेतन पैटर्न का अनुसरण करने वाले सीपीएसईज़ के कार्यकारी और असंघबद्ध पर्यवेक्षकों के लिए महंगाई भत्ते की दरें दिनांक 01.10.2020 से दिनांक 30.06.2021 तक स्थिर कर दी गई है।

2. तद्नुसार, सीपीएसईज़ के कार्यपालकों और असंघबद्ध पर्यवेक्षकों को मंहगाई भत्ते की दर **दिनांक 01.07.2021 से 18.4% से बढ़ाकर 23.2% कर दिया गया है (गणना पत्र अनुबंध में संलग्न है)। यह वृद्धि दिनांक 01.10.2020, 01.01.2021 और 01.04.2021 को होने वाली अतिरिक्त किश्तों को समाहित करती है। दिनांक 01.10.2020 से 30.06.2021 तक की अवधि के लिए महंगाई भत्ते की दर 18.4% रहेगी।**

3. मंहगाई भत्ता की उपरोक्त दर अर्थात 23.2% आईडीए कर्मचारियों जिन्हें डीपीई के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 03.08.2017, 04.08.2017 और 07.09.2017के अनुसार संशोधित वेतनमान (2017) की अनुमति दी गई है के मामले में लागू होगी।

4. भारत सरकार के सभी प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि वे अपनी ओर से आवश्यक कार्रवाई के लिए पूर्वोक्तियों को अपने प्रशासनिक नियंत्रण में सीपीएसईज़ के ध्यान में लाएं।

(समसुल हक)
अवर सचिव

सेवा में,

भारत सरकार के सभी प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग।

प्रतिलिपि प्रेषित-:

1. केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के मुख्य कार्यपालक।
2. प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों में वित्तीय सलाहकार।
3. व्यय विभाग, ई-II शाखा, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
4. भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक, 9 दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली।
5. राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, लोक उद्यम विभाग को इस अनुरोध के साथ की इस कार्यालय ज्ञापन को लोक उद्यम विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाए।

(समसुल हक)
अवर सचिव

अनुबंध

2017 आईडीए वेतनमान के अनुसरण में कार्यपालकों और असंघबद्ध पर्यवेक्षकों के लिए गणना पत्रक।

नियत तिथि	तिमाही का औसत	लिंक प्वाइंट (01.01.2017 को पिछले तीन महीने के एआईसीपीआई का औसत एआईसीपीआई)	लिंक प्वाइंट पर वृद्धि	डीए की दरें	टिप्पणियां
01.10.2020	*335.33*	*277.33*	*58*	*20.9*	डीए अवधि (दिनांक 01.10.2020 से 30.06.2021) तक की फ्रीजिंग के दौरान वास्तविक डीए दर 18.4% है। किसी भी बकाया की अनुमति नहीं दी जाएगी।
01.01.2021	*343.20*	*277.33*	*65.87*	*23.7*	
01.04.2021	*341.76*	*277.33*	*64.43*	*23.2*	